भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1335

(सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

दिवाला और शोधन अक्षमता के मामले

1335. डॉ. अमर सिंहः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास वर्ष 2016 से शुरू किये गये उच्च मूल्य के दिवाला और शोधन अक्षमता के मामलों की संख्या का आंकड़ा है; जिनमें शामिल कॉरपोरेट देनदार या प्रमोटर की जांच सीबीआई, ईडी या एसएफआईओ जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों में ऋणदाताओं द्वारा की गई वसूली का ब्यौरा बड़े पैमाने पर वित्तीय चूक या भगोड़े आर्थिक अपराधियों से संबंधित मामले सहित क्या है;

(ग) क्या सरकार भारत तथा विदेशों में स्थित परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए दिवाला पेशेवरों, प्रवर्तन एजेंसियों तथा वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय हेतु किसी प्रक्रिया का पालन करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत मामलों में अपराध से हुई कमाई का पता लगाने और उसे वसूल करने के लिए अंतर-एजेंसी तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) और केंद्रीय जांच एजेंसियां अलग-अलग कार्यात्मक डोमेन में काम करती हैं। आईबीसी का मुख्य उद्देश्य एक दबावग्रस्त कंपनी का समाधान है। तथापि, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) नियमित रूप से आईबीसी के तहत आरपी द्वारा सूचित परिहार लेनदेन (अधिमाननीय, कम मूल्यांकन, धोखाधड़ी और जबरन वसूली लेनदेन) के ब्यौरे संबंधित एजेंसियों के साथ उनके संबंधित अधिनियमों के तहत उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ साझा करता है।

(ग) और (घ): आईबीसी के तहत, समाधान पेशेवर (आरपी) को आईबीसी की धारा 18 और 25 के तहत प्रावधान किए गए भारत के भीतर या बाहर स्थित मूर्त और अमूर्त संपत्ति, चल और अचल संपत्ति, प्राप्तियों, वित्तीय परिसंपत्तियों और व्यावसायिक रिकॉर्ड सहित कारपोरेट देनदार की सभी संपत्तियों का नियंत्रण और अभिरक्षा लेना आवश्यक है। इसलिए, आरपी से उस प्राधिकरण के साथ काम करने की उम्मीद की जाती है, जिसके पास प्रवर्तन एजेंसियों सहित ऐसी संपत्तियों से संबंधित अभिरक्षा, नियंत्रण या जानकारी है। इसके अतिरिक्त, इसके तहत बनाई गई संहिता और विनियमों के अनुसार आरपी को कानून की आवश्यकताओं के अनुपालन में शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जिसमें प्रवर्तन एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों के साथ सहयोग करना शामिल है।

*****